[SHRI HUSAIN DALWAI]

The State Government has undertaken various major, medium and minor irrigation projects for creating maximum irrigation potential. However, there is a wide gap between potential created and utilized in major, medium and minor projects.

Besides these irrigation projects, the performance of the National Drinking Water Programme has also remained far from satisfactory. All this has aggravated the drought situation in many pockets, which has necessitated intervention by the Central Government.

Therefore, I urge upon the Central Government to help the Government of Maharashtra by extending financial assistance to fight the drought situation.

Demand to take steps to Hand-over the Assets of the State of Himachal Pradesh Divided under the State of Punjab Reorganisation Act, 1966

श्री शान्ता कुमार (हिमाचल प्रदेश) : महोदय, वर्ष 1966 में पंजाब में पुनर्गठन के बाद हिमाचल प्रदेश में भी पंजाब राज्य का कुछ क्षेत्र सम्मिलित किया गया था, लेकिन राजनीतिक अनदेखी के कारण इस पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत मिलने वाले वाजिब अधिकारों से हिमाचल प्रदेश को वंचित रखा गया। इस अधिनियम के तहत हिमाचल को सांझे पंजाब की सम्पत्तियों पर 7.19 प्रतिशत हिस्सा मिलना था। अब 46 वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल के पक्ष में निर्णय देकर राज्य को राहत प्रदान की है। इस निर्णय के अनुसार पंजाब तथा हरियाणा सरकारों द्वारा 4,000 करोड़ रुपया हिमाचल को देना होगा। दोनों सरकारें बिना किसी कारण के इस धन की हिमाचल को अदायगी पर विलम्ब कर रही हैं। छोटा सा हिमाचल प्रदेश सीमित साधनों के कारण आर्थिक संकट में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा है। केन्द्रीय कानून का पालन कराना भारत सरकार की जिम्मेदारी थी। केंद्रीय कानून का पालन कराना भारत सरकार की जिम्मेदारी थी, पर केंद्र खामोश रहा। इस विलम्ब में केंद्र सरकार की भी गलती है। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि हिमाचल को देय 4,000 करोड़ रुपए भारत सरकार तुरंत हिमाचल को दे तथा इस धनराशि की आधी रकम 2,000 करोड़ रुपए पंजाब व हरियाणा सरकारों से किश्तों में वसूल करे। 2,000 करोड़ रुपए केंद्र की ओर से हिमाचल को अविलम्ब दिए जाएं, ताकि हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से अति शीघ्र निजात पा सके।

Demand to issue a Postal Stamp to Commemorate the Birth Anniversary of Dr. Sachchidanand Sinha

श्री राम कृपाल यादव (बिहार) : महोदय, डा. सच्चिदानन्द सिन्हा, बिहार की एक विभूति का न सिर्फ बिहार, बल्कि पूरे भारत के मानचित्र पर एक स्थान है। संविधान निर्माण में उनका योगदान किसी से कम नहीं रहा है। वे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे। बिहार के निर्माण में उनकी अहम भूमिका रही है और बिहारियों को सिर्फ भारत में ही नहीं, अपितु विश्व में उन्होंने एक स्थान दिलवाया। बिहार सरकार ने डा. सिन्हा की 138वीं जयन्ती पर यह घोषणा की थी कि वह इनके जन्मदिवस को हर साल राजकीय समारोह के रूप में मनाएगी, लेकिन सरकार ने उनके अस्तित्व को ही भुला दिया है।

हम केन्द्र सरकार से यह मांग करते हैं कि डा. सिन्हा एक ऐसा व्यक्तित्व हैं, जो बिहार के निर्माता के साथ गौरव भी हैं, इसलिए सरकार उनके जन्मदिवस पर उनकी समृति में डाक टिकट जारी करे और साथ ही हर साल यह दिवस राजकीय समारोह के रूप में मनाए। पटना स्थित सिन्हा लाइब्रेरी, जिसके वे संस्थापक रहे हैं, आज बुरी अवस्था में है। मेरी सरकार से मांग है कि केन्द्र सरकार उसका समुचित रख-रखाव करे, उसमें अधिक से अधिक पुस्तकें तथा पत्रिकाएं शामिल करे, उस लाइब्रेरी का उन्वयन करे एवं वहां उनकी एक प्रतिमा स्थापित करे।